



उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या-24/2025/22/2025/1/914373/2025

लखनऊ: दिनांक: 24.05.2025

शुद्धिपत्र

शासनादेश संख्या 20/2025/1/904835/2025/002-77-3002-003-13-2024 दिनांक 11.03.2025 द्वारा डिफेन्स कॉरिडोर के आगरा नोड के विकास हेतु 33 के0वी0 स्वतंत्र 'बे' के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 11.03.2025 द्वारा रू0 49.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 21/2025/1/906074/2025/001-77-3002-003-13-1-2024 दिनांक 12.03.2025 द्वारा रू0 471.47 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेशों में अंकित तालिका में जनपद के नाम में लखनऊ के स्थान पर आगरा पढ़ा और समझा जाए।

2. शासनादेश संख्या 20/2025/1/904835/2025/002-77-3002-003-13-2024 दिनांक 11.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 21/2025/1/906074/2025/001-77-3002-003-13-1-2024 दिनांक 12.03.2025 का शेष यथावत रहेगा।

(जयवीर सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
11. वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
12. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।